FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....**सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)**, ... **गुड़ामालानी**...........

प्रार्थीनी	विप्रार्थीगण
1. पेपोदेवी पुत्री स्व0 हनुमानराम धर्म पत्नी निम्बाराम उम्र 20 साल जाति जाट निवासी गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा हाल निवासी चीबी मलवा गोयलान जिला बाड़मेर **बनाम**	1. मूलाराम पुत्र मेहाराम 2. भीयाराम पुत्र मूलाराम 3. रामाराम पुत्र मूलाराम 4. जैती पुत्री स्व. हनुमानराम जाति जाट निवासी गोलिया जैतमाल तहसील नौखडा जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

किस्म मुकदमा....धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु0न0...100../22.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
17.06.2022	प्रार्थीनी पेपोदेवी की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थीगण मूलाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीनी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 1 मूलाराम के मृतक पुत्र हनुमानराम की पुत्री होने से विप्रार्थी संख्या 1 की पोती होती है। सरहद मौजा गोलिया जैतमाल तहसील नौखडा में प्रार्थीनी के दादा मूलाराम पुत्र मेहाराम के खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 10.1576 हैक्टेयर की अवस्थित है। प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 1 मूलाराम के मृतक पुत्र हनुमानराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से उक्त आराजी में अपने पिता हनुमानराम का वादग्रस्त पैतक आरामी में 1/4 हिस्से में 1/8 हिस्से की भूमि प्रार्थीनी के हक–हिस्सा निहित है। प्रार्थीनी हनुमानराम की जायन्दा पुत्री है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से उक्त आराजी में प्रार्थीनी के जन्म से ही हक हिस्से निहित हैं। प्रार्थीनी के पिता हनुमानराम की फौतगी नामान्तरण में प्रार्थीनी का नाम दर्ज नही किया गया। प्रार्थीनी के पिता हनुमानराम का देहान्त आज से करीब 14–15 साल पूर्व हुआ तथा प्रार्थीनी की माता ने दूसरी जगह नाता विवाह कर दिया। विप्रार्थी संख्या 4 प्रार्थीनी की छोटी बहिन है प्रार्थीनी के पिता हनुमानराम के कोई पुरूष सन्तान नहीं होने की वजह नामान्तरण में प्रार्थीनी का नाम उक्त खातेदारी में दर्ज नही किया गया। वर्तमान में उक्त पैतृक आराजी विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से प्रार्थीनी के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बेचान कर प्रार्थीनी को उनके पैतृक हक–हिस्से से महरूम करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीनी ने अपने हक अधिकारों की घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में उक्त वादग्रस्त [illegible] खातेदारी में दर्ज है, तथा प्रार्थीनी हनुमानराम की जायन्दा पुत्री [illegible] प्रार्थीनी का पैतृक आराजी में हक जन्म से निहित होते हैं इस [illegible] दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनी के पक्ष में निहित [illegible] सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है, लिहाजा प्रार्थीनी का [illegible] न्यायहित में अ[illegible] तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी [illegible] तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता [illegible] गोलिया जैतमाल के खसरा नम्बर 204 रकबा 10.1576 हैक्टेयर की भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थीनी विप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Keshav Kumar Meena Date: 2025.06.17 12:00:22 IST Reason: SelfAttested (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ... जो हुक्म ...
23/11/24	पत्रावली [illegible] पक्षकारान [illegible]। आज पी. [illegible] आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः [illegible] पत्रावली आइन्दा [illegible] को पेश हो।	
12-12-24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः [illegible] पत्रावली आइन्दा 9-1-25 को पेश हो।	
9/1/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप0/ अप्रार्थी जवाब वास्ते एक और अवसर चाहते है। [illegible] पत्रावली आगामी तारीख [illegible] को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	
06/2/25	पत्रावली आज पेश हुई वकुलाय पक्षकारान [illegible] अप्रार्थी जवाब [illegible] है। अवसर दिया [illegible] पत्रावली दिनांक 21/2/25 को पेश हो।	
21-2-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप0 अप्रार्थी वकील जवाब हेतु अवसर चाहते है, अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/3/25 को पेश हो।	
26/3/25	पत्रावली आज पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप0/ वकील वादी की ओर से P.S. वोशानलाल जरिये क्रोज उप0/ वकील वादी द्वारा प्र0 पत्र वास्ते विड्रो करने आवेदन का पेश किया। वकील वादीनी P.S. गार्डी स्वयं द्वारा न्यायालय में उप0 होकर निवेदन किया गया कि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण सड़क काम रुका हुआ है। अतः वादीनी उक्त आवेदन विड्रो करना चाहती है। अतः वादीनी के निवेदन पर उक्त आवेदन पत्र जरिये विड्रो खारिज किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.6.22 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसला सुमार होकर मूल वाद के नत्थी हो।	पेशी [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested